प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शैम्फोर्ड फयूचिरिस्टिक स्कूल,
म्हरवानी, पुवांरका, सहारनपुर।

पत्रांक/मान्यता/ 32835-37 /201-15/दिनांक 19/02/16

विषयः- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप निय अधीन मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके दिनांक 28.70.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती पत्राचार/नि प्रतिनिर्देष से मैं, प्रबन्धक, **शैम्फोर्ड फयूचिरिस्टक स्कूल मेहरवांनी पुवांरका सहारनपुर** को दिनांक 01.0 **आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अनन्तिम मान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपाबंध 1 और निः अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबंध 2 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्र आस-पडौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक खोलेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिख्रित सुनिश्चित करेग

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्ष जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये ग एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विषेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकर्थित न्यूनतम अर्हता के जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यून नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करे
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बना अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागार के लिए कक्ष
बालक–बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री /कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरो भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्ष चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल वि प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृ सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए औ प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जान प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ई0/1/2016. है। कृपया इसे नोट कर इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जि अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के का की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(बुद्व प्रिय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अ
सहारनपुर।

पृं0सं0/मान्यता/ 32835-37 /2015–16/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद– सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अ
सहारनपुर।